रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

26/7/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 1988/आषाढ़ 15, 1910
No. 355] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 1988/ASADHA 15, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1988

आदेश

का.आ. 678 (अ).—केन्द्रीय सरकार, स्थापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 (1988 का 7) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के अपर सचिव, श्री वी.वी. कुमार और के.पी. रमण को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा सं. 771/5/88 सी.शु. VIII]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th July, 1988

ORDERS

S.O. 678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 (7 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Sarvashri B. V. Kumar and K. J. Raman, Additional Secretaries to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 771|5|88-CUS.VIII]

का.आ. 679 (अ).—केन्द्रीय सरकार, व्यापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 (1988 का 7) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, श्री के.एल. वर्मा को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.सं 771/5/88-सी.शु. VIII]

एस.के. चौधरी, अवर सचिव

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 (7 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri K. L. Verma, Joint Secretary to the Government of India, for the purposes of the said section.

[F. No. 771|5|88-CUS.VIII]

S. K. CHOWDHRY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988